रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 1977/श्रावण 28, 1899

No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 1977/SRAVANA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 19th August 1977

S.O. 620(E)/18A/IDRA/77—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No S O 678(E)/18A/IDRA/72, dated the 24th October, 1972, the management of the industrial undertaking known as Messrs Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, had been taken over by the Authorised Controller referred to in that Order for a period of five years,

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period of two years.

[No. F 1/92/71-CUC]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1977

का० आ० 620 (अ)/18क आई० डी० आर० ए०/77—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 678(अ) 18क आई०डी०आर०ए० 72, तारीख 24 अक्तूबर, 1972 द्वारा मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि०, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उस आदेश मे निर्दिष्ट अधिकृत नियंत्रक द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित मे यह समीचीन है कि उक्त अधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध दो वर्ष की और अवधि के लिए जारी रहना चाहिए ;

अत अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनयमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि ऊपर उल्लिखित आदेश दो वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[सं० फा० 1/92 71-सी० यू० सी]

S.O. 621(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S O 455(E)/18FB/IDRA/73, dated the 31st August, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as Messrs Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And whereas the duration of the said Order was extended upto the 30th August, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 30th August, 1978,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th August, 1978

[No F 1/92/71-CUC]

G. N. MEHRA, Jt. Secy.

का०आ० 621(अ)/18—च ख उ० वि० वि० अ० 77.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स० का० आ० 455 (अमा०) 18 च ख उ० वि० वि० अ० 73, तारीख 31 अगस्त, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, समाप्ति के हस्तांतरण-पत्र, करार, समझौते, पंचाट या अन्य लिखित का, जिनका जिसका मेसर्स कार्टर

पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त उपक्रम को लागू हो या हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताए और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की कालावधि 30 अगस्त, 1977 तक बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 30 अगस्त, 1978 तक, जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए बढा दी जानी चाहिए ,

अत , अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 30 अगस्त, 1978 तक, जिसमे वह दिन भी सम्मिलिति है, को और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[सं० फा० 1 92 71-सी० यू० सी०]

जी० एन० मेहरा, सयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977